न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–443/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. लक्ष्मण ठाकुर वल्द स्व0 लालजी ठाकुर उम्र करीब 70 वर्ष
2. रामु ठाकुर वल्द स्व0 रामचन्द्र ठाकुर उम्र करीब 30 वर्ष
3. सकल ठाकुर उर्फ सकलदेव ठाकुर वल्द रामस्वरूप ठाकुर उम्र करीब 60 वर्ष
4. ललन ठाकुर वल्द दुलारचंद ठाकुर उम्र करीब 47 वर्ष
5. बलिस्टर ठाकुर वल्द दुलारचंद ठाकुर उम्र करीब 56 वर्ष
6. मैनेजर ठाकुर वल्द गोपाल ठाकुर उम्र करीब 32 वर्ष
7. रामहर्षित ठाकुर वल्द सुखदेव ठाकुर उम्र करीब 51 वर्ष
8. हरिश्चन्द्र ठाकुर वल्द मुखदेव ठाकुर उम्र करीब 45 वर्ष
9. देवेन्द्र पाण्डेय उर्फ देवेन्द्र कुमार पाण्डेय वल्द राम वचन पाण्डेय उम्र करीब 58 वर्ष
10. हसीना खातून पति जाकिर हुसैन उम्र करीब 40 वर्ष

ग्राम–गंगापीपरा, थाना–पहाड़पुर, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री नागेन्द्र सिंह ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

17.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्तगण लक्ष्मण ठाकुर, रामु ठाकुर, सकल ठाकुर उर्फ सकलदेव ठाकुर, ललन ठाकुर, बलिस्टर ठाकुर, मैनेजर ठाकुर, रामहर्षित ठाकुर, हरिश्चन्द्र ठाकुर, देवेन्द्र पाण्डेय उर्फ देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं हसीना खातून की ओर से पहाड़पुर थाना कांड संख्या–04/2026 , धारा–318(4), 338, 336(2)/ 3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक जूल महम्मद मियां का कथन है कि वह 2015 में अपने ही गांव के धर्मेन्द्र ठाकुर से उसके हिस्से में प्राप्त खतियानी जमीन खाता संख्या–43, खेसरा–316, रकवा– एक कट्ठा जमीन बैनामा द्वारा प्राप्त किया तथा इस जमीन पर शान्तिपूर्ण कब्जा भी प्राप्त कर लिया । इस

जमीन का दाखिल खारिज करा कर राजस्व रसीद भी कटाता चला आ रहा है। इसी बीच इस जमीन पर पूर्व समय से ही जाली फरेबी खेस्टा बैनामा के आधार पर अवैध रूप से दावा करने वाले लक्ष्मण ठाकुर , रामु ठाकुर, सकल ठाकुर, रामसुन्दर ठाकुर, ललन ठाकुर, बलिस्टर ठाकुर, हरिश्चन्द्र ठाकुर सभी मिलकर उसके इस बैनामा द्वारा प्राप्त तथा शान्तिपूर्ण दखल कब्जे वाली जमीन को गंगा पिपरा गांव के ही हसीना खातून को जाली फरेबी खेस्टा के आधार पर बैनामा कर दिए है तथा इस दस्तावेज से देवेन्द्र पाण्डेय पहचान बने है। जमीन जाली फरेबी करके बैनामा करा कर दिनांक 27.11.2025 को उपरोक्त लोग सहित हसीना खातून तथा इनके पारिवारिक लोग सहित उपरोक्त सभी इस जमीन पर टाट फूस की झोपड़ी खड़ी करने लगे जब वह इन सभी लोगों को मना करने पहुँचा तभी ये लोग गंदी–गंदी गालियां देने लगे तथा मारपीट खून–खराब करने पर उतारू हो गए। वह ग्रामीणो पंचो को बुला कर लाया। वे लोग भी इन्हें इस जमीन पर खड़ी नहीं करने की बात कही लेकिन उपरोक्त सभी लोग किसी की बात मानने को राजी नहीं हुए तथा टाट फूंस की एक झोपड़ी खड़ी कर लिए है लेकिन लोग जिस खेस्टा बैनामा के आधार पर ये लोग बैनामा कराने की बात करते है। उस खेसरा बैनामा के दस्तावेज में यह खेसरा मौजूद नहीं है। जबकि ये लोग मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रहे है।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक मैनेजर ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर एवं बैलिस्टर ठाकुर के विरूद्ध सत्रवाद संख्या– 825/2003 लम्बित है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने आरोपित घ टना को कारित नहीं किया है। धारा– 318(4), 338, 336(2) बी.एन.एस. का आरोप इस मामले में आकर्षित नहीं होता है। घटनास्थल की जमीन पर धर्मेन्द्र ठाकुर का कभी भी कब्जा नहीं था , न ही घटनास्थल पर धर्मेन्द्र ठाकुर का कोई स्वत्व व अधिकार एवं कब्जा है। धर्मेन्द्र ठाकुर, उसके पिता विक्रमा ठाकुर एवं उसके दादा स्व0 भरत ठाकुर के द्वारा बँटवारा वाद संख्या– 315/1986 दाखिल किया गया था जो खारिज किया जा चुका है जिसके विरूद्ध अपील संख्या–

88/2006 दाखिल किया गया था जिसे खारिज किया जा चुका है। आवेदकगण का घटनास्थल के जमीन सहित कुल 0–14–09 धुर पर स्वत्व एवं कब्जा है। यदि वह खेसरा 316 के अंश को बेचा है तो वह जाली दस्तावेज नहीं है न ही आवेदकगण के द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है। आवेदक संख्या– 10 पहचानकर्ता है एवं आवेदक संख्या–11 घटनास्थल की जमीन के केता है । ऐसी स्थिति में जाल फरेब एवं धोखाधड़ी का आरोप नहीं बनता है। यह मामला दीवानी प्रकृति का है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदकगण के विरूद्ध सूचक की जमीन को बेईमानी एवं धोखाधड़ी करके आवेदक संख्या– 10 को बिकी कर देने का आरोप है। यह मामला दीवानी प्रकृति का है । आवेदक संख्या– 9 तथाकथित जमीन के पहचानकर्ता एवं आवेदक संख्या–10 केता है। आवेदक संख्या– 1, 2, 4, 6, एवं 9 तथा भरत ठाकुर व अन्य के बीच चल रहे विभाजन वाद संख्या– 315/1986 में दिनांक 06.01.2025 में निर्णय एवं डिकी पारित किया गया था जिसमें विभाजन वाद को खारिज किया गया था , जिसमें प्राथमिकी में अंकित विवादित खेसरा भी अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका– 18 में आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण लक्ष्मण ठाकुर, रामु ठाकुर, सकल ठाकुर उर्फ सकलदेव ठाकुर, ललन ठाकुर, बलिस्टर ठाकुर, मैनेजर ठाकुर, रामहर्षित ठाकुर, हरश्चिन्द्र ठाकुर, देवेन्द्र पाण्डेय उर्फ देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं हसीना खातून को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 482(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि :–

1. आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक जमानतदार आवेदकगण के नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे,

3. आवेदक अग्रिम जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ–पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध–पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदक किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध–पत्र रद्द किया जा सकता हैं

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 17.03.2026